मैसर्स सिद्ध शिव ग्रेनाईट, एम.एल. नं. 1315/2018 की ग्रेनाईट खनन परियोजना ग्राम–आमली सुख, तहसील–मालपुरा, जिला–टोंक का जन–सुनवाई कार्यवाही विवरण

मैसर्स सिद्ध शिव ग्रेनाईट, एम.एल. नं. 1315/2018, ग्राम–आमली सुख, तहसील–मालपुरा, जिला–टोंक खनन पट्टा क्षेत्रफल विस्तार कर 1.4903 हेक्टेयर करने (वर्तमान क्षेत्रफल = 1.1342 हेक्टेयर + प्रस्तावित स्ट्रीप क्षेत्रफल = 0.3561 हेक्टेयर) तथा प्रस्तावित उत्पादन क्षमता विस्तार 1,35,000 TPA (ROM) से 2,20,000 TPA (ROM) करने हेतु जन सुनवाई पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी पर्यावरण प्रभाव आंकलन अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 एवं समय–समय पर संशोधित अधिसूचनाओं के प्रावधानों की अनुपालना मे तथा कार्यालय जिला कलेक्टर एवं जिला कलेक्टर, टोंक के पत्र क्रमांक न्याय/पर्यावरण जनसुनवाई/2025/23452 दिनांक 18.08.2025, पत्रांक 32440 दिनांक 26.09.2025, पत्रांक 32784 दिनांक 13.10.2025 तथा पत्रांक 33401 दिनांक 28.10.2025 (संलग्नक–अ) के अनुक्रम मे दिनांक 01.11.2025 को प्रातः 11:00 बजे, स्थान पंचायत समिति सभागार मालपुरा, तहसील–मालपुरा, जिला–टोंक (राजस्थान) अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, मालपुरा, जिला–टोंक (राज॰) की अध्यक्षता मे आयोजित की गयी।

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाई निम्न अधिकारियों की उपस्थिति में आयोजित की गयीः–

1. श्री विनोद कुमार मीणा, अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, मालपुरा, जिला टोंक
2. श्री शिव कुमार, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बून्दी

जनसुनवाई मे उपस्थित अधिकारीगण, जनप्रतिनिधि एवं क्षेत्र के ग्रामवासी व अन्य का उपस्थिति–पत्र मय हस्ताक्षर संलग्न है (संलग्नक–ब)। उक्त जन सुनवाई के लिए नियमानुसार राष्ट्रीय समाचार पत्र ''द इण्डियन एक्सप्रेस'' मे दिनांक 23.08.2025, 15.10.2025 तथा 16.10.2025 और स्थानीय समाचार पत्र ''हुक्मनामा समाचार'' मे दिनांक 23.08.2025, 15.10.2025 तथा 16.10.2025 को आम सूचना निर्धारित जन सुनवाई से नियमानुसार निर्धारित दिवसों पूर्व

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
बूंदी, राजस्थान

अति. जिला कलेक्टर
म.लपुरा (टोंक) राज.

Scanned with OKEN Scanner

प्रकाशित की गई थी, समाचार पत्रों की फोटो प्रतियाँ संलग्न है (संलग्नक–स)। जनसुनवाई की विडियो रिकोर्डिंग डी.वी.डी./पेन ड्राईव एवं फोटो ग्राफ संलग्न है (संलग्नक–द)।

श्री विनोद कुमार मीणा, अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, मालपुरा, जिला टोंक की अनुमति से जन सुनवाई की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए श्री शिव कुमार, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बून्दी ने उपस्थित जन–समूह को जन सुनवाई के प्रावधानों, उद्देश्यों तथा महत्व के बारे में बताते हुए उपस्थित जनसमूह से यह अपील की कि वे परियोजना प्रस्तावक के सलाहकार द्वारा खनन परियोजना के बारे में जो जानकारी दी जायेगी उसे सुने तत्पश्चात्यदि इसके बाबत कोई सुझाव/शिकायत/आक्षेप/आपत्ति हो तो कृपया सबसे पहले अपना परिचय दे जिसमें आपका नाम तथा गाँव आदि बतावें साथ ही अपना सुझाव/शिकायत/आक्षेप/आपत्ति जो भी हो लिखित अथवा मौखिक जैसा आप उचित समझे हमें दे सकते है।

उन्होने यह भी अवगत कराया कि इस जन सुनवाई के दौरान आप द्वारा जो भी सुझाव या शिकायत दी जायेगी चाहे वह लिखित हो या मौखिक हो उसे हम कलमबद्ध करेंगे तथा जन सुनवाई में होने वाली कार्यवाही की फोटोग्राफी व वीडियोग्राफी भी की जा रही है। हम आपके लिखित/मौखिक रूप में प्राप्त सभी सुझाव/शिकायत/आक्षेप/आपत्ति कलमबद्ध करके वीडियो रिकोर्डिंग मय फोटोग्राफ्स के साथ कार्यवाही विवरण (Minutes of Meeting) बनाकर नोटिफिकेशन के अनुपालना स्वरुप राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) राजस्थान को अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित करेंगे।

तत्पश्चात् क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्ड़ल, बून्दी ने परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तावित ग्रेनाईट खनन परियोजना मय क्लस्टर के बारे में प्रजेन्टेशन के माध्यम से उपस्थित जनसमूह को अवगत कराने हेतु आमंत्रित किया।

इसके पश्चात मैसर्स सिद्ध शिव ग्रेनाईट के प्रतिनिधि श्री शीशराम के द्वारा परियोजना की संक्षिप्त जानकारी दी गई और विस्तृत जानकारी के लिए पर्यावरणीय सलाहकार मैसर्स यूनिवर्सल एन्वायरोटेक की ओर से श्री संदीप वर्मा को आमंत्रित किया। श्री संदीप वर्मा ने प्रस्तावित ग्रेनाईट खनन परियोजना मय क्लस्टर के बारे में उपस्थित जनसमुदाय को विस्तृत जानकारी पावर पॉइन्ट प्रजेन्टेशन के माध्यम से दी जिसमें खनन परियोजना का परिचय देते

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
बूंदी, राजस्थान

अति. जिला कलेक्टर
मालपुरा (टोंक) राज.

Scanned with OKEN Scanne

हुए खनन पटटे की स्थिति/जगह, खनिज, खनन पट्टा क्षेत्र, उत्पादन क्षमता, क्लस्टर पट्टा क्षेत्र, कलस्टर की कुल उत्पादन क्षमता, क्लस्टर लोकेशन मैप, क्लस्टर मे आने वाली खनन पट्टे की गूगल इमेज, क्लस्टर में आने वाली खनन पट्टों की जानकारी, सहायक खनि अभियंता, टोंक द्वारा जारी क्लस्टर प्रमाण पत्र तथा क्लस्टर नक्शा की जानकारी, संदर्भ की शर्तो की जानकारी, समाचार पत्र में जन सुनवाई हेतु जारी विज्ञापन की जानकारी, परियोजना की प्रमुख विशेषताएं, परियोजना का खनन योग्य भण्डार, गहराई, भू–जल तालिका, निकटतम गाँव/कस्बा, निकटतम राजमार्ग/निकटतम रेल्वे स्टेशन, निकटतम हवाई अड्डा, निकटतम आरक्षित एवं संरक्षित वन, पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र, राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, जल की आवश्यकता, विद्युत पावर की आवश्यकता, रोजगार सृजन, जल गुणवत्ता की स्थिति एवं प्रबन्धन, वायु गुणवत्ता की स्थिति एवं प्रबन्धन, ध्वनि गुणवत्ता की स्थिति एवं प्रबन्धन, क्लस्टर खदान के संचालित होने के बाद परिवहन प्रभाव, हरित पट्टिटा विकास, ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन, सुरक्षा प्रबन्धन, सड़कों का रखरखाव, क्लस्टर पर्यावरण संरक्षण उपाय, श्रमिक कल्याण हेतु प्रस्तावित कार्य, व्यवसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा तथा परियोजना से लाभ आदि से सम्बधित जानकारी प्रदान की गई।

तत्पश्चात् श्री शिव कुमार, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्ड़ल, बून्दी ने उपस्थित जनसमुदाय को अपने सुझाव/विचार/आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु आमन्त्रित किया। उपस्थित जन–समुदाय द्वारा प्रस्तुत सुझाव/विचार/आपत्ति/आक्षेप का विवरण निम्नानुसार है:–

1. **श्री जगदीश गुर्जर, निवासी ग्राम–आमली सुख, तहसील–मालपुरा, जिला–टोंक** ने बताया कि यह लीज हमारे गाँव से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर स्थित हैं व इस लीज से उन्हें कोई परेशानी नही हैं।
2. **श्री बाबूलाल, निवासी ग्राम–आमली सुख, तहसील–मालपुरा, जिला–टोंक** ने कहा कि उन्हें इस लीज (खनन पट्टे) से कोई दिक्कत नही हैं।
3. **श्री राम बाबू चौहान, निवासी ग्राम–आमली सुख, तहसील–मालपुरा, जिला–टोंक** ने कहा की उन्हें इस खनन परियोजना से कोई दिक्कत नही हैं। बढ़िया रोजगार चल रहा हैं।

क्षेत्रीय अधिकारी
[illegible] मण्डल
बूंदी, राजस्थान

अति. जिला कलेक्टर
मालपुरा (टोंक)

Scanned with OKEN Scanner

4. **श्री कालूराम गुर्जर पुत्र श्री अमर गुर्जर, ग्राम–आमली सुख, तहसील–मालपुरा, जिला–टोंक** ने कहा कि उन्हें कोई परेशानी नही हैं।

5. **श्री कृष्ण लाल मीणा पुत्र श्री भँवर मीणा, निवासी ग्राम–आमली सुख, तहसील–मालपुरा, जिला टोंक** ने कहा कि उन्हें इस खनन परियोजना से कोई समस्या नही हैं।

6. **श्री मोतीलाल गुर्जर ग्राम–आमली सुख, तहसील–मालपुरा, जिला टोंक** ने कहा कि उन्हें इस खनन पट्टे से कोई परेशानी नही हैं।

श्री शिव कुमार क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बून्दी (राज.) ने जन समुदाय से कहा कि यदि कोई व्यक्ति यहाँ बोलना नही चाह रहा हैं तो वह अपने सुझाव/विचार/आपत्ति/आक्षेप यदि कोई हो तो लिखित में भी दे सकता हैं। जिसे जनसुनवाई की कार्यवाही विवरण के साथ संलग्न कर सक्षम स्तर को प्रेक्षित किया जाएगा।

7. **श्री मोतीलाल गुर्जर ग्राम–आमली सुख, तहसील–मालपुरा, जिला टोंक** ने पुनः कहा कि सभी काम हो रहे हैं कोई दिक्कत नही हैं। कोई परेशानी नही हैं।

8. **श्री कालूराम गुर्जर पुत्र श्री अमर गुर्जर, ग्राम–आमली सुख, तहसील–मालपुरा, जिला–टोंक ने** अवगत कराया कि हम लोगों को कोई भी परेशानी होती हैं तो हम खान मालिक को बोलते हैं तो वह हर काम में सहायता करते हैं। जैसे रास्ते कि कोई समस्या हैं, उसमें मिट्टी आदि डालने की आवश्यकता हैं तो वह मदद करते हैं।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, मालपुरा, जिला–टोंक ने कहा कि इस तरह के जो खनन के प्रकरण होते हैं तो उनमें सामान्यतः बाद में शिकायत आती हैं कि यह खनन पट्टा गाँव के पास में स्थित हैं, ब्लास्टिंग के कारण पत्थर उनके घरों के आसपास गिर रहे हैं। अभी आप लोग यहाँ उपस्थित हैं तो यदि इस तरह की कोई बात/समस्या है तो आप बता सकते हैं।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, मालपुरा, जिला–टोंक ने लीज पट्टा धारक से पूछा कि क्या आपका खनन पट्टा चालू स्थिति मे हैं? व आबादी से कितना दूर हैं?

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
बूंदी, राजस्थान

अति. जिला कलेक्टर
मालपुरा (टोंक) राज.

Scanned with OKEN Scanne

परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वर्तमान में खनन पट्टा चालू हैं व यह जनसुनवाई खनन पट्टा क्षेत्रफल विस्तार व खनन क्षमता हेतु आयोजित की जा रही हैं। साथ ही अवगत कराया गया कि खनन पट्टा आबादी से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर स्थित हैं।

खनन पट्टा धारक द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि खनन प्रक्रिया के दौरान नाम मात्र की (नियंत्रित) ब्लास्टिंग ही की जाती हैं। इस खनन पट्टे मे ग्रेनाइट के ब्लॉक निकाले जाते हैं जिसके लिए ड्रिल करके डायमण्ड वायर सा (Diamond wise saw) की मदद से पत्थर को काटा जाता है।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, मालपुरा, जिला–टोंक ने पुनः लोगो से व उपस्थित पटवारी हलका के खनन पट्टे की आबादी से दूरी पुछी गयी तो गाँव वालों ने खनन पट्टे की गाँव से दूरी लगभग 1.5 किलोमीटर बताई। उपस्थित पटवारी हल्का ने अवगत कराया कि उन्होंने मौका देखा हैं व खनन पट्टा आबादी से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर स्थित हैं।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, मालपुरा, जिला–टोंक ने खनन पट्टा धारक से उपलब्ध रास्ते के बारे में जानकारी चाही गयी तो खनन पट्टा धारक ने अवगत कराया कि खनन पट्टे पर आने जाने के लिए नहर की पाल का उपयोग किया जाता हैं। जो कि लगभग 1.0 से 1.5 किलोमीटर का हैं। उसके पश्चात् पक्की सडक उपलब्ध हैं।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, मालपुरा, जिला–टोंक ने गाँव वालों से पूछा कि नहर के रास्ते को खनन पट्टा धारक द्वारा उपयोग करने में कोई आपत्ति हैं क्या?

उपस्थित ग्रामीणो ने अवगत कराया कि उन्हें कोई आपत्ति नही है।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, मालपुरा, जिला–टोंक ने खनन पट्टा धारक को कहा कि रास्तें को दुरूस्त रखना खनन पट्टा धारक की भी जिम्मेदारी है व ग्रामीणों को कोई समस्या नही होनी चाहिए।

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल,
बूंदी, राजस्थान

अति. जिला कलेक्टर
मालपुरा (टोंक) राज.

Scanned with OKEN Scanner

अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, मालपुरा, जिला–टोंक द्वारा खनन पट्टा धारक से खनन प्रक्रिया से निकलनें वाले अपशिष्ट के निस्तारण के बारे में जानकारी चाही गयी।

खनन पट्टा धारक ने अवगत कराया की पूर्व मे निकला खनन अपशिष्ट रास्ते आदि बनाने में उपयोग लिया जा चुका है वर्तमान मे ग्रेनाइट खनिज खनन योग्य उपलब्ध होने के कारण अब अपशिष्ट नही निकल रहा है क्योकि वर्तमान में अच्छी गुणवत्ता के ग्रेनाइट ब्लॉक उपलब्ध है।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, मालपुरा, जिला–टोंक ने खनन पट्टा धारक को सलाह दी कि अपशिष्ट की वजह से स्थानीय लोगों को कोई असुविधा नही होनी चाहिए एवं निर्धारित जगह के अलावा किसी अन्य जगह जैसे सरकारी भूमि आदि पर खनन अपशिष्ट को नही फेंकने की हिदायत दी। ग्रामीणों ने अवगत कराया कि खनन आशिष्ट को खनन पटटे द्वारा रास्ते आदि बनाने में ही उपयोग लिया जाता है। इधर–उधर नही फेंका जाता है।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, मालपुरा, जिला–टोंक ने खनन पट्टा धारक को निर्देश दिए कि खनन की सीमा निर्धारित हो व खनन निर्धारित सीमा के अन्दर ही किया जाए। खान विभाग द्वारा निर्धारित पिलर सही जगह पर स्थित होने चाहिए।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, मालपुरा, जिला–टोंक ने खनन पटटे के पूर्व के भूमि के प्रकार व आसपास के भू–उपयोग के बारें में जानकारी चाही। उपस्थित पटवारी हलका द्वारा अवगत् कराया गया कि खनन पट्टे के आस–पास मुख्यतः खातेदारी भूमि है। खनन पट्टे धारी द्वारा अवगत कराया गया कि यह भूमि जिससे वर्तमान में खनन संचलित है वह भी खातेंदारी भूमि थी, जिससे खनन पट्टा धारक द्वारा खान विभाग से निधारित प्रक्रिया के अनुसार खनन पट्टा अवगत् कराया गया है। वर्तमान में जो जन सुनवाई क्षेत्रफल विस्तार व उत्पादन क्षमता विस्तार हेतु आयोजित की जा रही है उसका कुछ भाग

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
बूंदी, राजस्थान

अति. जिला कलेक्टर
मालपुरा (टोंक) राज.

Scanned with OKEN Scanne

सरकारी भूमि पर खान एवं भू–विज्ञान विभाग द्वारा आवंटित किया गया है व कुछ भाग खातेदार द्वारा खनन पट्टे धारक को खनन पट्टे हेतु निर्धारित प्रक्रिया से दिया गया है।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, मालपुरा, जिला–टोंक ने परियोजना प्रस्तावक से कहा कि आपने इस जन सुनवाई में आमजन से जो बात कही, जो वादे किये, उन्हें पूरा करना चाहिए व जनता को जो लाभ देने की बात कही, वह आपको उन्हें देना चाहिए, चाहे वह हरित पट्टी के विकास की बात हो, चाहे रोजगार से सम्बधित हो, उसे आप सुनिश्चित करेंगे।

अंत मे जन सुनवाई की कार्यवाही सधन्यवाद समाप्त की गयी।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

(शिव कुमार)
क्षेत्रीय अधिकारी,
राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल,
बून्दी (राज.)

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
बूंदी, राजस्थान

(विनोद कुमार मीणा)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
मालपुरा जिला–टोंक (राज.)

अति. जिला कलेक्टर
मालपुरा (टोंक) राज.

Scanned with OKEN Scanne

संलग्नक - अ

कार्यालय जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट टोंक

क्रमाकः– / न्याय / पर्यावरण जनसुनवाई / 2025 / 23452 दिनांक 18 / 08 / 2025

पर्यावरण अभियन्ता व क्षेत्रीय अधिकारी
राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड
बून्दी।

विषयः– Public hearing for Environment Clearence for District Tonk.

उपरोक्त विषयान्तर्गत पर्यावरण जनसुनवाई हेतु टोंक जिले की तहसील मालपुरा में स्थित ग्राम आमली सुख में ग्रेनाईट माईनिंग प्रोजेक्ट चालू किये जाने हेतु निम्नानुसार जनसुनवाई का समय, स्थान व दिनांक नियत किया जाता है:–

क0सं0	पत्रावली पत्रांक व दिनांक / फर्म का नाम	ग्राम का नाम	निर्धारित समय, स्थान व दिनांक
1	पत्रांक 834 दिनांक 29.07.2025 श्री सिद्ध शिव ग्रेनाईट	आमली सुख	राजीव गांधी सेवा केन्द्र पंचायत समिति मालपुरा, दिनांक 27.09.2025 दोपहर 1.00 बजे।

(राम रतन सोंकरिया)
अति0 जिला मजिस्ट्रेट,
टोंक

क्रमाकः– / न्याय / पर्यावरण जनसुनवाई / 2025 / 23453–59 दिनांक 18 / 08 / 2025
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. प्रभारी अधिकारी स्थापना / पुल कलेक्ट्रट, टोंक।
2. उपखण्ड अधिकारी मालपुरा।
3. तहसीलदार मालपुरा को भेजकर लेख है कि उक्त जनसुनवाई संबन्धित पटवारी को उपस्थित होने हेतु निर्देश प्रदान करें।
4. विकास अधिकारी, पंचायत समिति मालपुरा।
5. सहायक खनिज अभियन्ता, खान एवं भू–विज्ञान विभाग टोंक।
6. श्री जितेन्द्र सिंह नरूका, सहायक प्रशानिक अधिकारी, न्याय अनुभाग कलेक्ट्रेट टोंक को भेजकर लेख है कि उक्त जनसुनवाई में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।
7. ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत ....।

अति0 जिला मजिस्ट्रेट,
टोंक

Rajkaj Ref No.
17214756
eSign DSC

Document certified by Ram Ratan Sonkaria <ceo.jjn@gmail.com>.
Digitally Signed by Ram Ratan Sonkaria
Designation : Additional Collector And Additional District Magistrate
Date :18-08-2025 12:44:09

Scanned with OKEN Scanner

JEE (P)
26/9/25

कार्यालय जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट टोंक

क्रमाकः—/न्याय/पर्यावरण जनसुनवाई/2025/32440 दिनांकः—यथा हस्ताक्षर 26/09/2025

आदेश

कार्यालय हाजा के पत्रांक न्याय/पर्यावरण जनसुनवाई/2025/20500 दिनांक 01.08.2025 से टोंक जिले में स्थित डोडवाड़ी एवं मुण्डिया ग्राम में बनास नदी से रवरबेड सैंड (लघु खनिज) के खनन परियोजना (यशोदा एन्टरप्राईजेज) हेतु दिनांक 27.09.2025 को प्रातः 11.00 बजे राजीव गांधी सेवा केन्द्र पंचायत समिति पीपलू एवं कार्यालय हाजा के पत्रांक न्याय/पर्यावरण जनसुनवाई/2025/23452 दिनांक 18.08.2025 से ग्राम आमलीसुख में ग्रेनाईट माइनिंग प्रोजेक्ट (श्री सिद्ध शिव ग्रेनाईट) चालू करने हेतु दिनांक 27.09.2025 को दोपहर 1.00 बजे राजीव गांधी सेवा केन्द्र पंचायत समिति मालपुरा में पर्यावरणीय जनसुनवाई नियत की गई थी। उक्त पर्यावरणीय जनसुनवाई अपरिहार्य कारणों से अग्रिम आदेश तक स्थगित की जाती है।

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
प्राप्ति
क्रमांक 695
दिनांक 26/9/25
बूंदी (राज.)

(राम रतन सौंकरिया)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
टोंक

क्रमाकः—/न्याय/पर्यावरण जनसुनवाई/2025/32441-52 दिनांकः—यथा हस्ताक्षर 26/09/2025

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. प्रभारी अधिकारी स्थापना/पुल कलेक्ट्रट, टोंक।
2. उपखण्ड अधिकारी पीपलू/मालपुरा।
3. तहसीलदार पीपलू/मालपुरा।
4. विकास अधिकारी, पंचायत समिति पीपलू/मालपुरा।
5. सहायक खनिज अभियन्ता, खान एवं भू–विज्ञान विभाग टोंक।
6. पर्यावरण अभियन्ता व क्षेत्रीय अधिकारी, राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड बून्दी।
7. यशोदा एन्टरप्राईजेज/श्री सिद्ध शिव ग्रेनाईट।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
टोंक

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट टोंक

क्रमाकः–/न्याय/पर्यावरण जनसुनवाई/2025/32784 दिनांकः–यथा हस्ताक्षर

पर्यावरण अभियन्ता व क्षेत्रीय अधिकारी
राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड
बून्दी।

JEE (P)
14/10/25

राज्य प्रदूषण नियंत्रण ... प्राप्ति क्रमांक 771 दिनांक 14/10/25

विषयः– Public hearing for Environment Clearence for District Tonk.

उपरोक्त विषयान्तर्गत पर्यावरण जनसुनवाई हेतु टोंक जिले की तहसील मालपुरा में स्थित ग्राम आमलीसुख में ग्रेनाईट माइनिंग प्रोजेक्ट चालू किये जाने हेतु निम्नानुसार जनसुनवाई का समय, स्थान व दिनांक नियत किया जाता हैः–

क0सं0	पत्रावली पत्रांक व दिनांक/फर्म का नाम	ग्राम का नाम	निर्धारित समय, स्थान व दिनांक
1	पत्रांक 834 दिनांक 29.07. 2025 श्री सिद्ध शिव ग्रेनाईट	आमली सुख	राजीव गांधी सेवा केन्द्र पंचायत समिति, मालपुरा दिनांक 01.11.2025 प्रातः 11.00 बजे।

पर्यावरण जनसुनवाई के लिए कम से कम दो बडी एलईडी स्कीन, उच्च गुणवत्ता का साउण्ड सिस्टम एवं आगंतुको की पर्याप्त बैठक व्यवस्था एवं पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित की जावे।

(राम रतन सौंकरिया)
अति0 जिला मजिस्ट्रेट,
टोंक

क्रमाकः–/न्याय/पर्यावरण जनसुनवाई/2025/32785-90 दिनांकः–यथा हस्ताक्षर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. प्रभारी अधिकारी स्थापना/पुल कलेक्ट्रट, टोंक।
2. उपखण्ड अधिकारी मालपुरा।
3. तहसीलदार मालपुरा को भेजकर लेख है कि उक्त जनसुनवाई संबन्धित पटवारी को उपस्थित होने हेतु निर्देश प्रदान करें।
4. सहायक खनिज अभियन्ता, खान एवं भू–विज्ञान विभाग टोंक।
5. श्री जितेन्द्र सिंह नरूका, सहायक प्रशानिक अधिकारी, न्याय अनुभाग कलेक्ट्रेट टोंक को भेजकर लेख है कि उक्त जनसुनवाई में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

अति0 जिला मजिस्ट्रेट,
टोंक

Document certified by Ram Ratan Sonkaria <ceo.jjn@gmail.com>.
Digitally Signed by Ram Ratan Sonkaria
Designation : Additional Collector And Additional District Magistrate
Date :13-10-2025 03:43:40

RajKaj Ref No.: 18292718
eSign DSC

Scanned with OKEN Scanner

संलग्नक : 8

उपस्थिति पत्रक

मैसर्स सिद्ध शिव ग्रेनाईट, एम.एल. नं. 1315/2018 की प्रस्तावित ग्रेनाईट खनन परियोजना, खनन क्षेत्रफल विस्तार कर 1.4903 हेक्टेयर करने (वर्तमान क्षेत्रफल = 1.1342 हेक्टेयर + प्रस्तावित स्ट्रीप क्षेत्रफल = 0.3561 हेक्टेयर) तथा प्रस्तावित उत्पादन क्षमता विस्तार 1,35,000 TPA (ROM) से 2,20,000 TPA (ROM) निकट ग्राम–आमली सुख, तहसील–मालुपरा, जिला–टोंक खनन परियोजना हेतु आयोजित पर्यावरणीय स्वीकृति से सम्बन्धित जन सुनवाई दिनांक 01-11-2025 (शनिवार) को स्थान राजीव गाँधी सेवा केन्द्र, पंचायंत समिति–मालपुरा, तहसील–मालपुरा, जिला–टोंक में समय प्रातः 11:00 बजे में उपस्थित अधिकारी, जनप्रतिनिधि एवं नागरिकों का उपस्थिति पत्रकः–

क्र.स.	व्यक्ति का नाम	पता / विभाग का नाम	हस्ताक्षर
1	Vinod K. Meena	ADM, Malpura	[signature]
2	Shiv Kumar	R.O. RSPCB Bundi	[signature]
3	PAWAN KUMAR	TVR, Malpura	[signature]
4	Smt. Deepti Sharma	Rev. Dept. (Patwari)	दीप्ति शर्मा
5	Gourav Pareek	ADM offc Malpura	[signature]
6	शीशाराम	सिद्ध शिव ग्रेनाइट्स	[signature]
7	Rajendra	सिद्ध शिव ग्रेनाइट्स	Rama
8	सुल्तान सिंह	आमली सुख	सुल्तान
9	रतन लाल मीणा	आमली सुख	रतन
10	कालूराम	आमली सुख	कालूराम
11	रामफूल	आमली	रामफूल
12	प्रवीण	आमली	[signature]
13	Babulal	आमली	Babulal
14	राजेन्द्र सिंह किशोर सिंह	आमली आमली	[signature]
	राधाकिशन गुर्जर	आमली	[signature]

Scanned with OKEN Scanner

क्र.सं.	व्यक्ति का नाम	पता/विभाग का नाम	हस्ताक्षर
15	जगदीश गुर्जर	आमलीखुर्द	[illegible]
16	रामपाल गुर्जर	आमली	[illegible]
17	मोती लाल गुर्जर	आमली खुर्द	[illegible]
18	महावीर प्रसाद	आमली	[illegible]
19	संजय वर्मा (पर्यावरणीय सलाहकार)	यूनिवर्सल एन्वायरोटेक जयपुर	Sanjay
20	राठौड़ सौरभ	" — " —	Rauthy
21	महावीर प्रसाद	सिद्ध शिव ग्रेनाइट आमली	[illegible]
22	Pankaj Sattawan	JEE, RSPCB, Bundi	Pankaj

...य-हाय और दौसा एसपी के ... हाय-हाय के नारे लगा दिए। वहां मौजूद अन्य लोग यह सब देखकर दंग रह गए। ऐसे में कहीं ना कहीं यह बात एसपी कलेक्टर तक भी पहुंच गई। जिससे वह खासे नाराज दिख रहे

...की चर्चा है कि पहले लालसोट प्रकरण में तहसीलदार ने आपा खोया और अब प्रदर्शन के दौरान राजस्व अधिकारियों ने भी आपा खोते हुए जिन्हें ज्ञापन देना

के नारे लगा दिए। जिसका चर्चा जिले में खूब हो रही है और एक बार फिर ऐसे में अधिवक्ताओं को एक और मौका मिल गया यह कहना गलत नहीं होगा।

एयरपोर्ट से लगते ...

...ा से मुक्त करवाया

...जस्व व ...शादेही ...सेवी, ...रों की ध्वस्त ...र्व में ...को भी निर्माण ...र्यवाही ...ाहियां आदर्प ... में ...तुर्थ, ... तथा ...जाये, में ...नीकी

स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा सम्पादित की गई। उप महानिरीक्षक पुलिस, जविप्रा, जयपुर राहुल कोटोकी ने समस्त नागरिकों से अपील है कि प्रवर्तन संबंधित शिकायतों के संबंध में वे स्वंय उपस्थित होकर; कन्ट्रोल रूम हेल्पलाईन नं. पर 24म7; हेल्पलाईन 181 राजस्थान सम्पर्क पोर्टल एवं जरिये मेल .द्व्र पर अवैध निर्माण/ कब्जा/अतिक्रमण इत्यादि की शिकायत/परिवाद प्रस्तुत व सम्पर्क कर अवैध अतिक्रमणों के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान देवें।

दौसा जिले के लालसोट में तहसीलदार और वकीलों के बीच हुए विवाद ने पकड़ा तूल

दौसा (हुक्मनामा समाचार)। दौसा जिले के लालसोट में तहसीलदार और वकीलों के बीच हुए विवाद ने विकराल रूप धारण कर लिया है। वही दोनों ही पक्ष एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो गए हैं। तहसीलदार के पक्ष में राजस्थान राजस्व सेवा परिषद, राजस्थान पटवार संघ खुलकर सामने आ गए हैं और कार्य का बहिष्कार कर दौसा जिला कलेक्ट्रेट पर धरना शुरू कर दिया है। वहीं बार एसोसिएशन के द्वारा भी कार्य का बहिष्कार कर तहसीलदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग पर अड़े हुए हैं ऐसे में दोनों पक्ष के द्वारा अड़े रहने की वजह से फरियादी दोनों ही जगह परेशान हो रहे हैं लोगों के मूल निवास जाति प्रमाण पत्र सहित अन्य दस्तावेज अटक गए हैं। तो वही न्यायालय में भी फ़रियाद को न्याय नहीं मिल रहा है क्योंकि एडवोकेट उनकी पैरवी नहीं कर रखें और कार्य का बहिष्कार कर रखा है।

स्तरीय समिति द्वारा पात्र आवेदनों का चयन किया जाकर निदेशालय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को अग्रेषित किया जाएगा। यात्रा के साधन और यात्रियों की संख्या का निर्धारण निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक के पश्चात् किया जाएगा।

Regional Office

Rajasthan State Pollution Control Board

Plot No. D-15, Near Ishwari Fruit Garden, New Colony, Buodi

E-mail: rorpcb.buodi@gmail.com

No. RPCB/RO Buodi/PUB-149/1050 Date:-20/8/25

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाई के लिए आम सूचना

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स सिद्ध शिव ट्रेडर्स, एम.एल. नम्बर 1315/2018, की ग्रेनाइट खनन परियोजना में प्रस्तावित खनन क्षेत्रफल विस्तार कर 1.4903 हेक्टेयर करने (वर्तमान क्षेत्रफल - 1.1342 हेक्टेयर + प्रस्तावित स्ट्रिप क्षेत्रफल 0.3561 हेक्टेयर) तथा प्रस्तावित उत्पादन क्षमता विस्तार 1,35,000 TPA(ROM) से 2,20,000 TPA (ROM) निकट ग्राम [illegible], तहसील मालपुरा, जिला टोंक से सम्बन्धित प्रस्तावित ग्रेनाइट खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति/राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण राजस्थान के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।
2. चूंकि मैसर्स सिद्ध शिव ट्रेडर्स, द्वारा उक्त परियोजना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति के सम्बन्ध में पर्यावरणीय जनसुनवाई हेतु आवेदन मय दस्तावेजों के राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहां तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिहित) के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
3. चूंकि मण्डल को उक्त परियोजना हेतु पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस.ओ. 1533 (ई) दिनांक 14-09-2006 एवं समय समय पर संशोधनों के प्रावधानों के अनुसरण में जनसुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना अनिवार्य है।
4. उक्त परियोजना से सम्बन्धित ड्राफ्ट पर्यावरणीय प्रभाव आकलन रिपोर्ट एवं संक्षिप्त कार्यकारी सार अभिलेख (हिन्दी व अंग्रेजी में) निम्न कार्यालयों में अवलोकनार्थ उपलब्ध है

i. कार्यालय जिला कलक्टर, टोंक।
ii. निदेशक, पर्यावरण विभाग, कमरा संख्या 8240, द्वितीय तल, उ.प. (एसएसओ) भवन, सचिवालय, जयपुर।
iii. सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल मुख्यालय, 4, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर।
iv. क्षेत्रीय कार्यालय, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, ए-216 अरण्य भवन, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर।
v. कार्यालय मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, जिला टोंक।
vi. कार्यालय महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, जिला टोंक।
vii. क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बून्दी, जिला बून्दी।
viii. कार्यालय सहायक खनि० अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, टोंक, जिला टोंक।
ix. कार्यालय पंचायत समिति मालपुरा, तहसील मालपुरा, जिला टोंक।
x. कार्यालय ग्राम पंचायत [illegible] तहसील मालपुरा, जिला टोंक।

अतः सर्वसाधारण को कार्यालय जिला कलक्टर, एवं जिला मजिस्ट्रेट टोंक के पत्र क्रमांक - न्याय / पर्यावरण जनसुनवाई/2025/23452 दिनांक 18-08-2025 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से सम्बन्धित जन सुनवाई में दिनांक 27.09.2025 (शनिवार) को स्थान राजीव गांधी सेवा केन्द्र, पंचायत समिति मालपुरा, तहसील मालपुरा, जिला टोंक में समय दोपहर 01.00 बजे उपस्थित होकर अपने लिखित एवं मौखिक आपत्ति आक्षेप / सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। साथ ही इस सम्बन्ध में आपत्ति आक्षेप / सुझाव इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से जन सुनवाई दिवस तक क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बून्दी, जिला बून्दी में भी प्रस्तुत किये जा सकते हैं।

भवदीय

(शिव कुमार)

क्षेत्रीय अधिकारी,

रा.रा.प्र.नि.म. बून्दी

हमला करने वाले तीन आरोपी गिरफ्तार

...नामा सदर पास ...रदार ...मला ...पियों ...से को ...दर ने को ...क रहे पर ...वा ...त ...त ...पी ...र ...,र ...वं ...त ...ा ...र

सदर थानाधिकारी जयमल सिंह ने बताया कि 20 अगस्त इमरान उर्फ नासिर मो. पुत्र फकीर मोहम्मद (28) निवासी कुम्हारों की चौकी काली पलटन टोंक थाना कोतवाली टोंक जिला टोंक जैर ईलाज सआदत अस्पताल टोंक द्वारा एक प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि प्रार्थी अपने दोस्तो के साथ खाना खाने एक होटस ... अंडरपास के पास खाना खाने गये थे, समय लगभग शाम के 8.45 -9 बजे के आस पास खाना खाने के दौरान अचानक तभी वहां हथियारों से लैस होकर हाथों में तलवार- डंडे- गंडासे व पिस्तोल लेकर गंगाधर, विशाल, नरेश, अक्षय व अन्य 10-15 लोगों के साथ वहां पर आये तथा एकदम से अचानक एक राय होकर उन लोगों ने प्रार्थी व प्रार्थी के दोस्त इमरान उर्फ कल्लन, कालू उर्फ सलमान पर अचानक ताबड़तोड़ जानलेवा हमला कर दिया, जिससे प्रार्थी के सिर पर गंभीर चोट लग गई तथा प्रार्थी के दोस्त इमरान उर्फ कल्लन, कालू के भी उक्त हमले से चोटें लग गई, प्रार्थी व उसके दोस्तों ने उक्त लोगों से जैस-तैसे होटल के अन्य कमरे में अपने आप को बंद कर उन व्यक्तियों से बचाया। अगर प्रार्थी व उसके दोस्त होटल के कमरे में बंद कर छुपते नही तो उक्त लोग प्रार्थी व उसके दोस्तों को जान से मार देते, घटना के थोड़ी देर बाद मौके पर पुलिस पहुंची, जिसके बाद पुलिस प्रार्थी व उसके दोस्तों को अस्पताल मेडिकल चैकअप के लिए ले आई। इस दौरान वांछित में तीन मुख्य आरोपीगणों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। मुल्जिमानों की निशा देही से वारदात में प्रयुक्त धारदार हथियार तलवार, गडांसा व बांस की मोडिफाईड लाठी को बरामद किया गया है।

न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश महोदय, रतनगढ़, चूरू

आवेदन पत्र क्रमांक 2/2025

तारीख पेशी 25/08/2025

राकेश प्रार्थी बनाम सर्वसाधारण आदि-अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत प्रोबेट प्राप्ति

-: निमित् सर्वसाधारण :-

आपको बजरिये इस नोटिस से सूचित किया जा रहा है कि राकेश पुत्र हनुमानमल निवासी दिखणादा बास, राजलदेसर, जिला चूरू ने आपके विरूद्ध एक प्रार्थना पत्र बाबत प्राप्त करने प्रोबेट कि जिसमें अपनी माता स्व0 झिनकारदेवी उर्फ झणकारदेवी पत्नी हनुमानमल द्वारा सम्पादित् वसीयत दिनांकित 10/06/2019 अनुसार विक्रय पत्र दिनांकित 06/12/2017 के आधार पर खरीदशुदा दुकान एवं विक्रय पत्र दिनांकित 22/04/2013 के आधार पर खरीदशुदा नोहरा एवं अन्य चल सम्पतियों बाबत इस न्यायालय में दायर किया है, जिसमें आगामी तारीख पेशी 25/08/2025 नियत है।

अतः आप स्वयं अथवा जरिये अधिवक्ता उक्त नियत दिनांक को समय 10.00 ए.एम. पर न्यायालय में उपस्थित होकर वजह जाहिर करें कि क्यों न उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जावे। बसूरत आपकी अनुपस्थिति में प्रार्थना पत्र एकपक्षीय रूप से सुना जाकर निर्णित किया जावेगा।

न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश रतनगढ़

CS CamScanner

अलवर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि.

Alwar Zila Dugdh Utpadak Sahakari Sangh Limited

ISO 22000:2018 & GMP CERTIFIED ORGANIZATION

क्रमांक अ.डे./एफ.-(T/F-FTIR)/क्रय/2025-26/33890-97 **ई-निविदा सूचना** दिनांक:- 15/10/2025

अलवर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, अलवर में Supply, Installation and Commissioning of FTIR Technology Based Milk Analyzer as per specification (NIB Code- CDF2526A0774) (UBN-CDF 2526GLRC01055) मशीन की आपूर्ति हेतु इस मशीन का अनुभव रखने वाले निविदादाताओं से निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा की विस्तृत शर्तें / अमानत राशि एवं महत्वपूर्ण दिनांक इत्यादि की जानकारी वेबसाईट http://eproc.rajasthan.gov.in, www.sppp.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है।

प्रबन्ध संचालक

RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN NIGAM LTD.

O/o CE (Civil), 7th floor, LIC Jeevan Deep Building, Lal Kothi, Jaipur

E-TENDER NOTICE : TN-12 (RVU2526WLOB01389)

Online Tenders are invited by RVUN for Construction of 2500 m CC road from ash water recovery pump house to the end of 950 m road in ash dyke at SSCTPS, Suratgarh. Tender details are available on websites http://eproc.rajasthan.gov.in (for e-tender), www.energy.rajasthan.gov.in/rvunl & www.sppp.rajasthan.gov.in.

Raj.Samwad/C/25/12162 RVUN/PR-4280 Chief Engineer (Civil)

REGIONAL OFFICE

RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD

Jasol Phaanta, Opp. JdVVNL Office, Balotra, District Balotra
Website www.environment.rajasthan.gov.in, Email ro.balotara@gmail.com

राप्रनिम/क्षे.का./बालोतरा/PH-74/1828 **त्रुटि सुधार सूचना** दिनांक: 14.10.2025

इस कार्यालय के पत्रांक राप्रनिमं/क्षे.का./ बालोतरा / PH-74/1749-52 दिनांक 13.10.2025 के द्वारा श्रीमति पुजा देवासी पत्नी श्री सुरेश कुमार के नाम से प्रस्तावित खनन परियोजना प्लॉट संख्या 113, ग्राम मवड़ी, तहसील सिवाना, जिला बालोतरा की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जारी लोक जन सुनवाई की आम सूचना में क्रम संख्या 02 के पंक्ति 03 में बजरी खनन के स्थान पर मैसनरी स्टोन खनन पढ़ा जावे।

आज्ञा से- वरिष्ठ पर्यावरण अभियन्ता एवं क्षेत्रीय अधिकारी

SOUTHERN POWER DISTRIBUTION COMPANY OF TELANGANA LIMITED

e-Procurement Tender Notice (Paper Notification)

TGSPDCL intends to float tender for procurement of (a) 11 KV Polymer Pin Insulators with GI Pins (b) Single Phase and Three Phase Smart Net Meters (c) 11 KV Polymer Insulators (C&T) (d) 33KV Polymer Pin Insulators with GI Pins on e-procurement platform.

For further details of each item above, please visit www.tgsouthernpower.org, www.tender.telangana.gov.in Phone:040-23431360, 1033, 1035, 1026

DIPR R.O.No.714-PP/CL-AGENCY/ADVT/1/2025-26 Dt.15.10.2025 Sd/- CHIEF ENGINEER (P&MM)

JASOL WATER POLLUTION CONTROL TREATMENT AND REVERSE OSMOSIS PRIVATE LIMITED (JWPCT&ROPL), JASOL.

C/O CETP, Tilwara road, Jasol, Balotra (Raj.)
Email : jasolrospv@gmail.com, Mobile No. 9413308771 and 9887298819

TENDER NOTICE

JWPCT&ROPL, Jasol plans invite contractors for work of 2.5 MLD ZLD plant Solar evaporation pond for R.O. reject management and effluent and treated water supply network pipeline. The tender document will be available from the following dates at our office from 16/10/2025 to 30/10/2025. Tender fees is Rs. 10,000/-

ROHA HOUSING FINANCE

Registered Office: JJT HOUSE, 44/45, Road No 2, MIDC, Mumbai, Maharashtra-400093, India
Communication Address: A-45, 2nd Floor, Civtech Building, Sector- 04, Noida - 201301, Uttar Pradesh, India

PUBLIC NOTICE FOR BRANCH SHIFTING

We thank the customers of Roha Housing Finance Private Limited (Company) for their continued support. This notice serves to inform the customers of the Company that the branch office located at Plot No. A-67B, Ground Floor, Baba Colony, Near Chandrapura Chouraha, Sikar-332001, Rajasthan ("Sikar Branch") will be relocated with effect from 15th January, 2026. The revised address of the abovementioned branch office shall be intimated separately.

You are requested to kindly go through the official website of RHFPL https://rohahousing.com or Dial Toll Free number (i.e) 1800 266 2111 or visit your nearest branch for any further assistance.

Sd/-, Authorised Officer, Roha Housing Finance Pvt. Ltd.

Date: 16th October, 2025 (CIN: U65999MH2017PTC293277)

NASHIK MUNICIPAL CORPORATION, NASHIK

E-Tender Cell Department

Notice No. 13 (Year 2025-26)

Regional Office

Rajasthan State Pollution Control Board

Plot No. D-15. Near Ishwari Fruit Garden. New Colony.Bundi
E-mail: rorpeh.bundi@gmail.com

No. RPCB/RO Bundi/PUB-149/1397 **Date: 15/10/2025**

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाई के लिए आम सूचना

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स सिद्ध शिव ग्रेनाईट, एम.एल. नं. 1315/2018 की प्रस्तावित ग्रेनाईट खनन परियोजना, खनन क्षेत्रफल विस्तार कर 1.4903 हेक्टेयर करने (वर्तमान क्षेत्रफल 1.1342 हेक्टेयर + प्रस्तावित स्ट्रीप क्षेत्रफल = 0.3561 हेक्टेयर) तथा प्रस्तावित उत्पादन क्षमता विस्तार 1,35,000 TPA (ROM) से 2,20,000 TPA (ROM) निकट ग्राम-आमली सुख, तहसील-मालुपरा, जिला-टोंक मय कुल क्लस्टर क्षेत्रफल 8.5392 हेक्टेयर, कुल कलस्टर उत्पादन क्षमता 9,34,323.2 TPA (ROM) ग्रेनाईट प्रोजेक्ट से सम्बन्धित प्रस्तावित परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक 27.09.2025 को समय दोपहर 01:00 बजे स्थान राजीव गांधी सेवा केन्द्र, पंचायत समिति-मालपुरा तहसील-मालपुरा, जिला-टोंक में कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट टोंक के पत्र क्रमांक न्याय/पर्यावरण जनसुनवाई/2025/23452 दिनांक 18-08-2025 द्वारा नियत की गई थी। जिसकी आम सूचना इस कार्यालय के पत्र क्रमांक RPCB/RO Bundi/PUB-149/1050 दिनांक 20.08.2025 द्वारा जारी कर दैनिक अखबार द इण्डियन एक्सप्रेस में दिनांक 23.08.2025 व हुक्मनामा समाचार में दिनांक 23.08.2025 को प्रकाशित की गयी थी।
2. चूंकि, उक्त जन सुनवाई कार्यालय जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट, टोंक के पत्र क्रमांक/न्याय/पर्यावरण जन सुनवाई /2025/32440 दिनांक 26.09.2025 द्वारा अपरिहार्य कारणों से अग्रिम आदेशों तक स्थगित की गई, जिसकी आम सूचना इस कार्यालय के पत्र क्रमांक RPCB/RO Bundi/PUB-149/1268 दिनांक 26.09.2025 द्वारा जारी कर वही दैनिक अखवार द इण्डियन एक्सप्रेस ने दिनांक 15.10.2025 में हुक्मनामा समाचार में दिनांक 15.10.2025 को प्रकाशित की गयी।
3. चूंकि कार्यालय जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट टोंक के पत्र क्रमांक / न्याय/पर्यावरण जन सुनवाई/2025/32784 दिनांक 13.10.2025 द्वारा उक्त परियोजना हेतू जन सुनवाई पुनः नियत की गयी है।
4. चूंकि मण्डल को उक्त परियोजना हेतु पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या का. आ.1533 (अ) दिनांक 14.09.2006 एवं संशोधित अधिसूचना संख्या का. आ.2163(अ) दिनांक 09.05.2022 एवं समय-समय पर संशोधनों के प्रावधानों के अनुसरण में पुनः नियत की गयी जन सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 15 दिवस का नोटिस दिया जाना अनिवार्य है।
5. उक्त परियोजना से सम्बन्धित ड्राफ्ट पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन रिपोर्ट एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार अभिलेख निम्न कार्यालयों में अवलोकनार्थ उपलब्ध है:-

i. कार्यालय जिला कलेक्टर, टोंक।
ii. कार्यालय मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, जिला टोंक।
iii. कार्यालय महा प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, जिला-टोंक।
iv. पंचायत समिति, मालपुरा, तहसील मालपुरा, जिला-टोंक।
V. कार्यालय ग्राम पंचायत, धोली, तहसील मालपुरा, जिला-टोंक।
vi. क्षेत्रीय कार्यालय,वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, ए-218, अरण्य भवन, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर।
vii. सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल मुख्यालय, 4, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगर, जयपुर।
viii. निर्देशक, पर्यावरण विभाग, कमरा संख्या 8240, द्वितीय तल, उ.प. (एसएसओ) भवन, सचिवालय जयपुर।
IX. क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बून्दी, जिला-बून्दी।
X. कार्यालय सहायक खनि, अभियंता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, जिला-टोंक।

अतः सर्वसाधारण को कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, टोंक के पत्र क्रमांक न्याय पर्यावरण जनसुनवाई/2025/32784 दिनांक 13.10.2025 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से सम्बन्धित जन सुनवाई हेतु दिनांक 01.11.2025 (शनिवार) को राजीव गांधी सेवा केन्द्र, पंचायत समिति मालपुरा, तहसील मालपुरा, जिला-टोंक में समय प्रातः 11:00 बजे उपस्थित होकर अपने लिखित एवं मौखिक आपत्ति / आक्षेप / सुझाव प्रस्तुत कर सकते है। साथ ही इस सम्बन्ध में लिखित आपति/आक्षेप सुझाव इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से जन सुनवाई दिवस तक क्षेत्रीय कार्यालय राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल बून्दी जिला बून्दी में भी प्रस्तुत किये जा सकते हैं।

भवदीय
हस्ता/- (शिव कुमार)
क्षेत्रीय अधिकारी,
रा.प्र.नि.मं., बून्दी

क्षेत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

प्लॉट-2 (ए), रोड नं. 6. इन्द्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र, कोटा 324004
E-mail:- rorpcb.kota@gmail.com फोन:0744-2490873

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाई के लिए आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी पर्यावरण प्रभाव आंकलन अधिसूचना दिनांक 14/09/2006 के प्रावधानों के अंतर्गत मैसर्स तिरुपति स्टोन क्रेशर, निकट गाँधी सर्किल, सांगोद, जिला कोटा (राज.) द्वारा प्रस्तावित परियोजना यथा "Masonry Stone, Mining Project", M.L No. 07/2022, area 2.7895 Hectare, falling in cluster of area 7.7895 Hectare with proposed Production capacity 2,33,415 TPA (ROM) (Saleable Mineral 2,21,744 TPA, Waste 11.671 TPA) near Village Purana Pachara, Tehsil Digod, District Kota, (Raj.) हेतु प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किये गये है। चूंकि, मैसर्स तिरुपति स्टोन क्रेशर द्वारा प्रस्तावित खनन परियोजना यथा "Masonry Stone, Mining Project", M.L No. 07/2022, area 2.7895 Hectare, falling in cluster of area 7.7895 Hectare with proposed Production capacity 2,33,415 TPA (ROM) (Saleable Mineral 2,21,744 TPA, Waste 11,671 TPA) near Village Purana Pachara, Tehsil Digod, District Kota, (Raj.) के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति के संबंध में जन सुनवाई हेतु आवेदन मय दस्तावेजों के राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। और चूंकि, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना बाबत् भारत सरकार के पर्यावरण, वन, एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14/09/2006 के प्रावधानों के अनुसरण में जन सुनवाई हेतु इस आषय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना अनिवार्य है।

उक्त परियोजना से संबंधित पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन रिर्पोट एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है:-

(1) राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय, 4-संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर।
(2) पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय जयपुर।
(3) कार्यालय जिला कलक्टर, कोटा।
(4) क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, A-218, अरण्य भवन, झालाना डूंगरी, जयपुर।
(5) क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, कोटा।
(6) जिला उद्योग केन्द्र, कोटा।
(7) कार्यालय जिला परिषद, कोटा।
(8) कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, दीगोद, जिला कोटा।
(9) कार्यालय पंचायत समिति सुल्तानपुर, तहसील दीगोद, जिला कोटा।
(10) कार्यालय ग्राम पंचायत गढ़ेपान, पंचायत समिति सुल्तानपुर, तहसील-दीगोद, जिला कोटा।

अतः सर्व साधारण को इस नोटिस के माध्यम से एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि वे उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित प्रकरण के निपटारे के लिए जन सुनवाई हेतु दिनांक 17.11.2025 को "पंचायत समिति भवन, सुल्तानपुर" तहसील दीगोद, जिला कोटा में समय प्रातः 11:00 बजे उपस्थित होकर अपने सुझाव / आक्षेप, कोविड-19 के सन्दर्भ में जारी गाईडलाइन की पालना सुनिश्चित करते हुए, प्रस्तुत कर सकते हैं।

इस संबंध मे लिखित सुझाव / आक्षेप इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस की अवधि में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, क्षेत्रीय कार्यालय, कोटा, प्लॉट-2(ए), रोड नं. 6. इन्द्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र, कोटा (E-mail:- rorpcb.kota@gmail.com) के साथ-साथ मुख्यालय, 4-संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर मे भी प्रस्तुत कर सकते हैं।

आज्ञा से:- योग्यता सिंह क्षेत्रीय अधिकारी

भारतीय स्टेट बैंक State Bank of India

Stressed Assets Recovery Branch 3rd Floor, Matrix Mall, Sector-4 Jawahar Nagar, Jaipur- 302004

The under
Securitizat
issued to y

Name of b
and Loan A

Mrs. Poon
20007030

Mr. Gautar
Mrs. Gudd
Mr. Sawai
Mr. Moti S
20007030

Demand m
hereof, fail
sub-sectio
Place: Nag
Date: Octo

E-Auction Sal
Interest (Enfor
Notice is here
possession of
mentioned ac

Sr./ Lot No.	Nam
1.	Shri Gov and Co-B Shri Fat Govardh Village B Rajasthar Guarant Shri Rup Village B Jhalawar,

For detailed
bidders may

Date: 14.1
Place:Jhal

The unders
Interest Act
the Authori
mentioned
In connecti
Notice, the
from the da
said Borrow

Sr. No.	Loan
1	JA Kur Dev
2	JAIJ (Leg ma
3	JAI Gu / I
4	UDR Das Ma
5	JAIB

Audio Visual Means ("OAVM") (hereinafter referred to as the "Meeting") in compliance with the applicable ... and the Circular No. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2024/153

दिनांक :- 14.10.25

लोक सूचना

जया जैन पत्नी श्री राकेश जैन निवासी विजयनगर तहसील बिजयनगर जिला ब्यावर हाल निवासी फ्लैट नम्बर 202 शत्रुजय टॉवर, विठ्ठल चौहान मार्ग, परेल ईस्ट मुम्बई ने इस नीचे उल्लिखित भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात् :-

तहसील	राजस्व ग्राम	खसरा सं.	क्षेत्र
तहसील	बरल द्वितीय	2120/1083	2184.00 वर्गमीटर आवासीय प्रयोजनार्थ

ए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और धिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों ने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा।

त नियत समय के भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को है और तद्नुसार मामले का निपटारा किया जायेगा।

पूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज ---- को जारी की गयी।

प्राधिकारी अधिकारी एवं अधिशाषी अधिकारी
नगरपालिका बिजयनगर

माली सा. देह खातेदार

3. डूंगरमल पुत्र शंकरलाल हिस्सा-1/3जाति-माली सा. देह खातेदार
4. तेजमल पुत्र शंकरलाल हिस्सा-1/3 जाति-माली सा. देह खातेदार
5. पुखराज पुत्र केसुराम हिस्सा -1/12 जाति-माली सा. देह खातेदार
6. हुक्मीचन्द पुत्र केसुराम हिस्सा -1/12 जाति- माली सा. देह खातेदार

इसलिए इसके द्वारा समस्त सम्बन्धित व्यक्तियो की सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा के निर्वापन कोई आक्षेप है तो, वह इस नोटिस के 07 दिन के भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अद्योहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजो के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा।

उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप अथाव में यह समझा जायेगा की किसी को कोई आक्षेप नही है और तद्नुसार मामले का निपटारा किया जायेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 14/10/25 को जारी की गई ।

प्राधिकारी अधिकारी
नगर परिषद ब्यावर

कार्यालय नगरपरिषद निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रनि/हस्ता./118998/2025-26/3757-59 दिनांक :- 10/09/2025

-: आपत्ति सुचना :-

द्वारा, सर्व साधारण को सुचित किया जाता है कि उपखण्ड निम्बाहेड़ा द्वारा पट्टा ली 234/96 दिनांक 15.11.1996 राजस्व ग्राम निम्बाहेड़ा की आराजी नं. 1357, 7 में से 1229.16 वर्गगज भूखण्ड का आवासीय रूपान्तरण कर भूखण्ड का पट्टा श्री पिता श्री गेन्दा लाल जैन निवासी निम्बाहेड़ा के नाम से उपखण्ड निम्बाहेड़ा से जारी किया आंवटी / पट्टाधारी द्वारा पावर ऑफ पेटॉनी श्री राजेश कुमार पिता श्री हस्तीमल जी चौरडिया रपादित कि गई, मूल आंवटी एवं बहक द्वारा जरीये विक्रय से उक्त रूपान्तरीत भूखण्ड में (plot no.50, size= 25X40 =1000 SQF) को श्री राकेश कुमार पिता श्री रामगोपाल वासी निम्बाहेड़ा को विक्रय किया गया। क्रेता श्री राकेश कुमार पिता श्री रामगोपाल जी राठौड़ ाहेड़ा द्वारा जरीये विक्रय विलेख उक्त भूखण्ड को श्रीमती कंचन बाई पत्नि श्री भगवती लाल वासी खोड़पि तह. भेदसर को विक्रय किया गया। क्रेता श्रीमती कंचन बाई पत्नि श्री भगवती ाण निवासी खोड़पि तह. भेदसर द्वारा उक्त भूखण्ड (plot no.50, size= 25X40 =1000 रीये विक्रय विलेख से श्रीमती कविता कुमारी पत्नि श्री सुनील कुमार व्यास निवासी बम्बोरी दड़ी जिला प्रतापगढ़ को विक्रय किया गया। क्रेता श्रीमती कविता कुमारी पत्नि श्री सुनील निवासी बम्बोरी तह. छोटीसादड़ी जिला प्रतापगढ़ द्वारा भूखण्ड के चैन दस्तावेज प्रस्तुत कर अपने नाम से किये जाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अतः इस संबंध में किसी आस-र जन या किसी व्यक्ति विशेष को कोई आपत्ति हो तो मय सवुत के अन्दर मियाद 07 दिवस षद निम्बाहेड़ा में, कार्यालय दिवस मे आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। बाद समयावधि कोई नही होगी, और आवेदक श्रीमती कविता कुमारी पत्नि श्री सुनील कुमार व्यास निवासी छोटीसादड़ी जिला प्रतापगढ़ के नाम से हस्तान्तरण कि कार्यवाही प्रस्तावित कि जाकर पक्ष मे हस्तान्तरण प्रमाण पत्र जारी कर दिया जावेगा। 'सूचित हो'

आयुक्त
नगरपरिषद निम्बाहेडा

क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
एमपीएल-2, पंचम चरण, रिको औद्योगिक क्षेत्र, किशनगढ़ (अजमेर)

Date:-14-10-2025

राप्रनिम/क्षेका किश/पीपूबी-447/1753

पर्यावरणीय स्वीकृत समूह खनन परियोजना हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

1. सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स माईनिंग एण्ड मिनरल इन्डस्ट्रीज, खनन पट्टा संख्या 07/1993 ग्राम राजगढ़ द्वारा क्वार्टज, फैल्सपार, सोपस्टोन, एमरल्ड एवं बेरियल खनिज क्लस्टर खनन परियोजना जिसका विस्तृत विवरण निम्न प्रकार से है

क्र. स	प्रोजेक्ट का नाम	खनन पट्टा संख्या	क्षेत्रफल हैक्टेयर में	ग्राम	खनिज का नाम	उत्पादन क्षमता टीपीए (आर.ओ.एम.)
1.	मैसर्स माईनिंग एण्ड मिनरल इन्डस्ट्रीज	07/1993	46.32	राजगढ़	क्वार्टज, फैल्सपार, सोपस्टोन, एमरल्ड एवं बेरियल	24415
2.	श्री भंवर सिंह तंवर	250/2008	4.00	राजगढ़	क्वार्टज एंड फैल्सपार	113943
3.	मैसर्स जय भैरव मिनरल्स	83/2012	4.3536	राजगढ़	क्वार्टज एंड फैल्सपार	36660

कुल क्लस्टर क्षेत्रफल 54.6736 हैक्टेयर, कुल क्लस्टर उत्पादन क्षमता 1,75,018 टीपीए (आर.ओ.एम.) ग्राम राजगढ़-तहसील नसीराबाद, जिला अजमेर से संबन्धित प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना लोक सुनवाई हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहाँ तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) को प्रस्तुत किया गया है।

2. और चूंकि मैसर्स माईनिंग एण्ड मिनरल इन्डस्ट्रीज खनन पट्टा संख्या 07/1993 ग्राम राजगढ़ ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना की लोक सुनवाई हेतु मण्डल को आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त परियोजना हेतु वन एवं पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए.अधिसूचना संख्या एस. ओ.1533 दिनांक 14.09.2006 और एस.ओ. 141 ई दिनांक 15.01.2016 के अनुसार में लोक सुनवाई हेतु आवश्यक है।

3. उक्त परियोजना से सम्बन्धित संक्षिप्त अभिलेख (कार्यकारी सारांश) एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार अभिलेख निम्न कार्यालयों में अवलोकनार्थ उपलब्ध है:-

1. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर।
2. पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मुल्यांकन समिति, राजस्थान, 04, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर।
4. क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, किशनगढ़, जिला-अजमेर।
5. तहसील कार्यालय-नसीराबाद, जिला-अजमेर।
6. आई. टी. सेन्टर, राजगढ़, तहसील नसीराबाद, जिला अजमेर।

अतः सर्वसाधारण को कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर के पत्र क्रमांक कअ/सामान्य/2025 राजकाज रेफरेंस संख्या 18196167 दिनांक 08.10.2025 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त समूह खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई हेतु दिनांक 24.11.2025 को प्रातः 11:00 बजे, स्थान आई. टी. सेन्टर, राजगढ़, तहसील नसीराबाद, जिला अजमेर में उपस्थित होकर अपने लिखित/मौखिक आक्षेप/सुझाव प्रस्तुत कर सकते है। इस संबंध में लिखित आक्षेप/सुझाव इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, किशनगढ़, जिला-अजमेर को भी दिये जा सकते है।

(निधि खण्डेलवाल)
वरिष्ठ पर्यावरणीय अभियंता एवं क्षेत्रीय अधिकारी

कार्यालय ग्राम पंचायत दाउदसर
पंचायत समिति मौलासर (डीडवाना-कुचामन)

:-ग्रा.पं./निविदा/2025-26/103 दिनांक : 13-10-2025

ई-निविदा सूचना 03/2025-26

ग्राम पंचायत दाउदसर, पंचायत समिति मौलासर में किये जाने वाले निर्माण कार्यों के लिये सक्षम श्रेणी के संवेदकों से ई-निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा से संबंधित विस्तृत विवरण बेब पोर्टल www.sppp.rajasthan.gov.in व www.eproc.rajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है। निविदाएँ निर्धारित दिनांक को उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष ग्राम पंचायत में खोली जायेगी।

NO :- ZNR2526A0748
N NO:- ZNR2526WSOB00860

प्रशासक	**ग्राम विकास अधिकारी**
ग्राम पंचायत दाउदसर,	**ग्राम पंचायत दाउदसर,**
पंचायत समिति मौलासर	**पंचायत समिति मौलासर**

Regional Office
Rajasthan State Pollution Control Board
Plot No. D-15, Near Ishwari Fruit Garden, New Colony, Bundi
E-mail: rorpcb.bundi@gmail.com

Date: 15/10/2025

No. RPCB/RO Bundi/PUB-149/1397

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाई के लिए आम सूचना

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स [illegible] एम.एल. नं. 1315/2018 की प्रस्तावित [illegible] खनन परियोजना, खनन क्षेत्रफल [illegible] कर 1.4903 हैक्टेयर करने (वर्तमान क्षेत्रफल 1.1342 हैक्टेयर + प्रस्तावित [illegible] क्षेत्रफल - 0.3561 हैक्टेयर) तथा प्रस्तावित उत्पादन क्षमता [illegible] TPA (ROM) से 2,20,000 TPA (ROM) [illegible] ग्राम [illegible], तहसील-मालपुरा, जिला-टोंक मय कुल क्लस्टर क्षेत्रफल 8.5392 हैक्टेयर, कुल क्लस्टर उत्पादन क्षमता 9,34,323.2 TPA (ROM) [illegible] से सम्बन्धित प्रस्तावित परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक 27.09.2025 को समय दोपहर 01:00 बजे स्थान राजीव गांधी सेवा केन्द्र, पंचायत समिति-मालपुरा तहसील-मालपुरा, जिला-टोंक में कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट टोंक के पत्र क्रमांक [illegible] जनसुनवाई/2025/23452 दिनांक 18-08-2025 द्वारा नियत की गई थी। जिसकी आम सूचना इस कार्यालय के पत्र क्रमांक RPCB/RO Bundi/PUB-149/1050 दिनांक 20.08.2025 द्वारा जारी कर दैनिक अखबार व इण्डियन एक्सप्रेस में दिनांक 23.08.2025 व [illegible] समाचार में दिनांक 23.08.2025 को प्रकाशित की गयी थी।

2. चूंकि, उक्त जन सुनवाई कार्यालय जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट, टोंक के पत्र क्रमांक [illegible] जन सुनवाई /2025/32440 दिनांक 26.09.2025 द्वारा अपरिहार्य कारणों से आगामि आदेशों तक स्थगित की गई, जिसकी आम सूचना इस कार्यालय के पत्र क्रमांक RPCB/RO Bundi/PUB-149/1268 दिनांक 26.09.2025 द्वारा जारी कर दैनिक अखबार व इण्डियन एक्सप्रेस में दिनांक 15.10.2025 में [illegible] समाचार में दिनांक 15.10.2025 को प्रकाशित की गयी।

3. चूंकि कार्यालय जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट टोंक के पत्र क्रमांक [illegible] जन सुनवाई/2025/32784 दिनांक 13.10.2025 द्वारा उक्त परियोजना हेतु जन सुनवाई पुनः नियत की गयी है।

4. चूंकि मण्डल को उक्त परियोजना हेतु पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या का. आ. 1533 [illegible] दिनांक 14.09.2006 एवं संशोधित अधिसूचना संख्या का. आ.2163(अ) दिनांक 09.05.2022 एवं समय-समय पर संशोधनों के प्रावधानों के अनुसरण में पुनः नियत की गयी जन सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 15 दिवस का नोटिस दिया जाना अनिवार्य है।

5. उक्त परियोजना से सम्बन्धित प्रारूप पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन रिपोर्ट एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार अभिलेख निम्न कार्यालयों में अवलोकनार्थ उपलब्ध है:

i. कार्यालय जिला कलेक्टर, टोंक।
ii. कार्यालय मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, जिला टोंक।
iii. कार्यालय महा प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, जिला-टोंक।
iv. पंचायत समिति, मालपुरा, तहसील मालपुरा, जिला-टोंक।
V. कार्यालय ग्राम पंचायत, [illegible], तहसील मालपुरा, जिला-टोंक।
vi. क्षेत्रीय कार्यालय, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, ए-218, अरण्य भवन, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर।
vii. सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल मुख्यालय, 4, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर।
viii. निदेशक, पर्यावरण विभाग, कमरा संख्या 8240, द्वितीय तल, [illegible] भवन, सचिवालय जयपुर।
IX. क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बून्दी, जिला-बून्दी।
X. कार्यालय सहायक खनि. अभियंता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, जिला-टोंक।

अतः सर्वसाधारण को कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, टोंक के पत्र क्रमांक [illegible] पर्यावरण जनसुनवाई/2025/32784 दिनांक 13.10.2025 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से सम्बन्धित जन सुनवाई हेतु दिनांक 01.11.2025 (शनिवार) को राजीव गांधी सेवा केन्द्र, पंचायत समिति मालपुरा, तहसील मालपुरा, जिला-टोंक में समय प्रातः 11:00 बजे उपस्थित होकर अपने लिखित एवं मौखिक आपत्ति / आक्षेप / सुझाव प्रस्तुत कर सकते है। साथ ही इस सम्बन्ध में लिखित आपत्ति/आक्षेप सुझाव इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से जन सुनवाई दिवस तक क्षेत्रीय कार्यालय राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल बून्दी जिला बून्दी में भी प्रस्तुत किये जा सकते है।

भवदीय

हस्ता. (शिव कुमार)
क्षेत्रीय अधिकारी,
रा.प्र.नि.म., बून्दी

जयपुर में करीब 11
पे भूमि पर जेडीए की
त के एवं बिना भू
को समतल कर बनाई
सड़कें, प्लॉटों की
वैध निर्माण कर नवीन
ी सूचना प्राप्त होने पर
राहुल कोटोकी के
-12 के राजस्व व
ादेही पर प्रवर्तन दस्ते
जदूरों की सहायता से
स्त किया जाकर नवीन
के प्रयास को विफल

र सड़कों की मरम्मत
के लिये 6 करोड़ 30
ग्रस्त हुई सड़कों हेतु
ग्रेटर क्षेत्राधिकार में
नितिन शर्मा ने बताया
में कार्य किया गया
गया। उन्होंने बताया
ा रहा है।

त्यौहारी सीजन के देखते हुए 6 से 19 अक्टूबर तक अभियान चलाया जा रहा है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ पुखराज साध ने बताया कि मंगलबार को जिले के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा ग्राम खारदा में अलग-अलग टीमें बनाकर मैसर्स वीर तेजाजी दूध भंडार एवं मैसर्स गणेश स्वीट्स पर निरीक्षण एवं नमूनीकरण की कारवाई की गई। निरीक्षण के दौरान मौके पर मैसर्स वीर तेजाजी पर 50 प्लेन पीपों में लगभग 1000 किलोग्राम रसगुल्ले भरे हुए थे। जिन पर निर्माण तिथि एवं अवधिपार तिथि अंकित नहीं थी, को सीज किया गया। साथ ही 80 किलोग्राम दूषित तेल से बना हुआ था, 155 बॉक्स में लगभग 517 किलोग्राम, गुलाब जामुन लगभग 600 किलोग्राम बना हुआ रखा था। यहां पर 515 किलोग्राम मिल्क केक एवं 90 किलोग्राम दूषित गुलाब जामुन को मौके पर जनहित में नष्ट करवाया गया। उपरोक्त कारवाई में कुल 6 नमूने लिए गए। लिए गए नमूनों को जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला भिजवाया जाएगा। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। उक्त कार्यवाही में खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्रवण कुमार वर्मा, भानू प्रताप सिंह, सुरेन्द्र कुमार तथा राकेश गोदारा शामिल थे।

कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा

क बाग वाली ढाणी में
ही से खतरे में किसान

विभाग के अधिकारियों को सूचना देने के बाद भी इन बिजली के पोलो को सीधा व तारों को टाइट नहीं किया गया है। इस कारण बाग वाली ढाणी के ग्रामीणो में भारी आक्रोश है। और ग्रामीणों ने बताया कि कुछ समय पहले खेत में पानी देते समय एक व्यक्ति को बिजली का करंट भी लग चुका है इस संबंध में बिजली विभाग के उच्च अधिकारियों श्रह,छुश्रह,ठेकेदारको अवगत कराने के बाद भी इस और ध्यान नहीं दिया जा रहा हैं। और उनको एक दो दिन की बोलकर टरका दिया जाता हैं। ऐसे में किसान सुल्तान मीणा का कहना हैं कि ऐसा बोलकर 6 महीने निकाल दिया लेकिन अभी तक उनके द्वारा कोई भी कार्यवाही नहीं हो पाई।ग्रामीणों ने यह भी बताया कि ठेकेदार को बोलने के बाद भी एक-दो दिन की कहकर लगातार चकमें लगा कर टरका दिया जाता हैं। और हम कार्य करते समय पर अगर कोई हादसा हो जाएगा तो इसकी जिम्मेदारी बिजली विभाग के उच्च अधिकारी की होगी। ग्रामीण ने यह चेतावनी दी की बिजली विभाग के द्वारा जल्दी ही इन पोल को सीधा करके तारों को टाईट नहीं किया गया तो जिला कलेक्टर के पास पहुंचेंगे। इस मौके पर चौबड़ीवाला सरपंच, भौरी लाल सैन,जगदीश मीणा,सुल्तान मीणा,प्रभुदयाल, ,भीखाराम, गोपाल, पिंगला देवी भगवती देवी, ललता देवी, कजोड़ी देवी,संतरा देवी,चमेली देवी,सहित कई महिला पुरुष मौजूद रहे।

ो जुताई बुवाई में
कर साधनो में नहीं
ाता और कड़ब
रकर ट्रैक्टर के
बडी घटना होने
रहती है और
ताया कि ग्रामीण
बाद 11000 कवि
होने में थोड़ा सा
संबंध में बिजली

DIPR/C/15302/2025
वाणिज्यिक कर विभाग, अजमेर

कार्यालय पुलिस अधीक्षक, जिला दौसा (राज.)

क्रमांकः न-1 (5) दौसा-विविध/2025/6101-18 दिनांक : 07 अक्टूबर, 2025

वाहन नीलामी विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पुलिस मुख्यालय द्वारा नाकारा घोषित किये गये विभागीय वाहनों को नामों के सम्मुख अंकित बुक वैल्यू की सार्वजनिक निलामी 'जहां है-जैसे है' के आधार पर दिनांक 06.11.2025 को प्रातः 11 बजे से रिजर्व पुलिस लाईन दौसा की एमटी शाखा में गठित कमेठी द्वारा की जावेगी।

क्र.सं.	वाहन संख्या	वाहन का प्रकार	मॉडल	बुक वैल्यू	अमानत/धरोहर राशि
1.	RJ 29 UA 2381	बोलेरो	2012	528000.00	10560.00
2.	RJ 29 UA 2382	बोलेरो	2012	528000.00	10560.00
3.	RJ 29 UA 2866	बोलेरो	2013	541425.68	10830.00
4.	RJ 29 UA 2867	बोलेरो	2013	541425.68	10830.00
5.	RJ 29 UA 2163	टवेरा	2012	612620.00	12250.00
6.	RJ 29 UA 3180	जीप	2014	473264.00	9470.00
7.	RJ 29 UA 2940	जीप	2013	484572.40	9700.00
8.	RJ 29 UA 2941	जीप	2013	484572.40	9700.00
9.	RJ 29 UA 2592	जीप	2012	493391.17	9870.00
10.	RJ 29 UA 2593	जीप	2012	493391.17	9870.00
11.	RJ 29 UA 2541	जीप	2012	443137.81	8870.00
12.	RJ 29 UA 2542	जीप	2012	443137.81	8870.00
13.	RJ 29 UA 3795	जीप	2015	493029.50	9860.00
14.	RJ 29 SL 0033	मोटर साईकिल	2013	46300.00	930.00
15.	RJ 29 SL 0034	मोटर साईकिल	2013	46300.00	930.00
16.	RJ 29 GA 2029	वाटर टैंकर	2011	1078497.00	133110.00

वाहन नीलामी की शर्तें निम्नानुसार है :-

* नीलामी में भाग लेने हेतु प्रत्येक बोलीदाता को नीलामी से पूर्व उपरोक्तानुसार वाहन की धरोहर राशि जमा करानी होगी। जो निर्धारित समय तक की जावेगी, निर्धारित समय के पश्चात् किसी भी सूरत में बोलीदाताओं से धरोहर राशि जमा नहीं की जावेगी। असफल बोलीदाताओं को धरोहर राशि निलामी समाप्त होने पर वापिस लौटा दी जावेगी।
* जिस बोलीदाता की अधिकतम बोली स्वीकार की जावेगी, उसे बोली की 50 प्रतिशत राशि उसी समय जमा करानी होगी, एवं शेष राशि 3 दिवस के अंदर जमा करवाकर वाहन को ले जाना होगा।
* नीलामी कमेठी को बिना कारण बताये निलामी स्थगित करने का पूर्ण अधिकार होगा।
* जीएसटी/राजकीय ब्रिकीकर नियमानुसार वाहन खरीददाता को अलग से देना होगा।
* उपरोक्त वाहनों का निरीक्षण/अवलोकन किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय पर रिजर्व पुलिस लाईन दौसा की एमटी शाखा में किया जा सकता है।
* किसी भी प्रकार के विवाद का न्यायिक क्षेत्राधिकार जिला दौसा होगा।
* नीलामी बोली समाप्ति होने के बाद वाहनों को नीलामी स्थान से स्वयं के खर्चे पर ले जाना होगा।
* नीलामी की अंतिम रूप से पुष्टि होने के उपरांत सफल बोलीदाता द्वारा शेष 50 प्रतिशत राशि 03 दिवस के भीतर जमा नहीं करवाने पर धरोहर राशि व 50 प्रतिशत जमा राशि जब्त कर ली जावेगी।
* नीलामी बोली एक हजार रूपये के गुणक में बोली जावेगी।
* नीलामी में भाग लेने वाले बोलीदाता स्वयं के पहचान दस्तावेज एवं स्थायी निवास की सत्यापित फोटोप्रति जमा करानी होगी।
* वाहन को नीलामी स्थल पर जहां है, जैसी स्थिति में है, उसी स्थिति में प्राप्त करना होगा।
* नीलामी से संबंधित कोई भी कार्मिक नीलामी बोली में भाग नही ले सकेगा।
* शेष शर्ते वित्तीय एवं लेखा नियम के अनुसार लागू होगी।
* नीलामी बोली से संबंधित नियम शर्ते विभागीय वेबसाईट www.police.rajasthan.gov.in पर देखी व डाउनलोड की जा सकती है।

(सागर)
पुलिस अधीक्षक
जिला दौसा

DIPR/C/14988/2025

Regional Office
RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD
Plot No. D-15, Near Ishwari Fruit Garden, New Colony, Bundi
Email- rorpcb.bundi@gmail.com

No. RPCB/RO Bundi/PUB-149/1268 Date : 26/09/2025

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई स्थगन के लिए आम सूचना

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स सिद्ध शिव ग्रेनाईट, एम.एल. नं. 1315/2018 की प्रस्तावित ग्रेनाईट खनन परियोजना, खनन क्षेत्रफल विस्तार कर 1.4903 हेक्टेयर करने (वर्तमान क्षेत्रफल 1.1342 हेक्टेयर + प्रस्तावित स्ट्रीप क्षेत्रफल = 0.3561 हेक्टेयर) तथा प्रस्तावित उत्पादन क्षमता विस्तार 1,35,000 TPA (ROM) से 2,20,000 TPA (ROM) निकट ग्राम-आमली सुख, तहसील-मालपुरा, जिला-टोंक मय कुल क्लस्टर क्षेत्रफल 8.5392 हेक्टेयर, कुल क्लस्टर उत्पादन क्षमता 9,34,323.2 TPA (ROM) से सम्बन्धित प्रस्तावित खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जनसुनवाई दिनांक 27.09.2025 (शनिवार) को स्थान राजीव गांधी सेवा केन्द्र, पंचायत समिति मालपुरा तहसील मालपुरा, जिला टोंक में समय दोपहर 1:00 बजे नियत की गई थी। उक्त जनसुनवाई कार्यालय जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, टोंक के आदेश क्रमांक/न्याय/पर्यावरण जनसुनवाई/2025/32440 दिनांक 26.09.2025 द्वारा अपरिहार्य कारणों से अग्रिम आदेशों तक स्थगित की गई है।
2. चूंकि राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना हेतु पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एसओ 1533(ई) दिनांक 14.09.2006 एवं समय-समय पर संशोधनों के प्रावधानों के अनुसरण में लोक सुनवाई स्थगन हेतु इस आशय की सूचना दी जानी अनिवार्य है।

भवदीय (शिव कुमार) क्षेत्रीय अधिकारी, रा.प्र.नि.मं., बून्दी

[redacted] -द

राजस्थान राज्य प्रदुषण नियंत्रण मण्डल
बूँदी
द्वारा आयोजित सामुहिक जनसुनवाई
ग्रेनाईट खनन परियोजना गाँव: आमली सुख, तहसील– मालपुरा, जिला– टोंक (राजस्थान)
क.सं | खनन पट्टा | रेफ./एम.एल संख्या | क्षेत्रफल है. | कुल उत्पादन क्षमता टी.पी.ए (आर.ओ.एम)
1 | मैसर्स सिद्ध शिव ग्रेनाइट. | 1315/2018 | 1.4903 | 2,20,000 टी.पी.ए (आर.ओ.एम)
2 | मैसर्स अशोक कुमार मीणा | 2018100001231 | 1.9449 | 1,45,000 टी.पी.ए (आर.ओ.एम)
3 | मैसर्स जे.आर. ग्रेनाइट्स | 20211000039599 | 1.7765 | 2,10,000 टी.पी.ए (आर.ओ.एम)
4 | मैसर्स गुनात ग्रेनाइट | 20201000027432 | 1.1460 | 75,000 टी.पी.ए (आर.ओ.एम)
5 | मैसर्स गुनात ग्रेनाइट | 1.0003 | 1,48,344 टी.पी.ए (आर.ओ.एम)
6 | श्री राजेंद्र पुत्र श्री सीताराम | 1.1612 | 1,35,979.2 टी.पी.ए (आर.ओ.एम)
क्लस्टर का कुल क्षेत्रफल और उत्पादन | 8.5392 | 9,34,323.2 टी.पी.ए (आर.ओ.एम)
क्लस्टर पट्टा क्षेत्र 8.5392 हैक्टेयर एवं क्लस्टर परियोजना की कुल उत्पादन क्षमता 9,34,323.2 टी.पी.ए (आर.ओ.एम) की पर्यावरणीय
स्वीकृति प्रदान करने के लिए सामुहिक लोक जनसुनवाई
खनन पट्टा क्षेत्रफल – 1.1342 + 0.3561 = 1.4903 हैक्टेयर,
आमली सुख, तहसील– मालपुरा, जिला– टोंक (राजस्थान)
परियोजना प्रस्तावक: मैसर्स सिद्ध शिव ग्रेनाइट.
पर्यावरणीय सलाहकार
Universal
ENVIROTECH
NABET मान्यता प्राप्त - NABET/EIA/24-27/IA 0144
पहली मंजिल, 28, महिमा ट्रिनिटी मॉल, स्वेज फार्म, न्यू सांगानेर रोड, विवेक विहार मेट्रो स्टेशन के पास, जयपुर, राजस्थान-302019
आयोजक:
क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदुषण नियंत्रण मण्डल
डी–15, न्यू कॉलोनी, बूंदी, राजस्थान 323001
दिनांक 01/11/2025 बजे से,
स्थान– राजीव गांधी सेवा केन्द्र पंचायत
समिति – मालपुरा एवं जिला– टोंक
(राजस्थान) में प्रस्तावित है।
1

Do IT
सूचना प्रौद्योगिकी और
संचार विभाग
पंचायत समिति मालपुरा (टोंक)
ONAL OFFICER, RSPCB
BUNDI
ADDITIONAL DISTRICT
MAGISTRATE, MALPURA,TONK
TEHSILDAR MALPURA,TONK

विकास एवं पंचायती राज विभाग राजस्थान
विकसित
राजस्थान
2030
मिशन 2030
राजस्थान मिशन 2030 पर संवेदीकरण
मंगलवार 05 सितम्बर 2023
NOVELTY

विकास एवं पंचायती राज विभाग राजस्थान
विकसित
राजस्थान
2030
राजस्थान
मिशन 2030
राजस्थान मिशन 2030 पर संवेदीकरण
मंगलवार 05 सितम्बर 2023

MAX

hp